सराहनीय कार्य

इटावा पुलिस

प्रेस नोट- दिनांक 20.08.2024

हत्या की घटना का सफल अनावरण करते हुये इटावा पुलिस द्वारा 02 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।

अभियुक्त की निशांदेही पर मृतक के घर पर लगे सीसीटीवी कैमरे का डीवीआर , 01 पेट्रोल की बोतल तथा आलाकत्ल लकडी (फंटी) की गया बरामद।

अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर एवं पुलिस उप महानिरीक्षक कानपुर परिक्षेत्र, कानपुर के निर्देशन, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री संजय कुमार के पर्यवेक्षण, अपर पुलिस अधीक्षक नगर इटावा के मार्गदर्शन एवं क्षेत्राधिकारी जसवंतनगर के कुशल नेतृत्व में **एसओजी/सर्विलांस टीम** एवं **थाना बढ़पुरा पुलिस** द्वारा संयुक्त रूप से की गयी कार्यवाही।

घटना का संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 18.08.2024 की दोपहर समय करीब 13:00 बजे थाना बढ़पुरा पर मनोहर भदौरिया पुत्र शिशुपाल सिंह हाल निवासी सिविल लाइन जनपद इटावा मूल निवासी ग्राम अवारी थाना बढ़पुरा जनपद इटावा उम्र 42 वर्ष का घर के अन्दर अधजला शव मिलने की सूचना प्राप्त हुयी। सूचना पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा जनपदीय फोरेन्सिक टीम, एसओजी/सर्विलांस टीम तथा थाना बढ़पुरा पुलिस के साथ तत्काल मौके पर जाकर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया एवं घटना के शीघ्र अनावरण हेतु 06 पुलिस टीमों का गठन किया गया था।
मृतक की पत्नी शिवानी भदौरिया की तहरीर पर दिनांक 20.08.2024 को थाना बढ़पुरा पर **मु0अ0सं0 47/2024 धारा 103(1) बीएनएस** पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा घटना के शीघ्र अनावरण हेतु गठित पुलिस टीमो को सख्त निर्देश दिये गये। उक्त सभी टीमों द्वारा घटना के अनावरण हेतु इलैक्ट्रोनिक एवं भौतिक साक्ष्य एकत्रित किये गये। साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त शैलेश सिह भदौरिया उर्फ शालू तथा अमन सिह उर्फ बच्चा बाबा पुत्र प्रमोद सिह का नाम प्रकाश मे आये।

गिरफ्तारी का संक्षिप्त विवरण:-

जनपद मे अपराध एवं आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम एवं हत्या की घटना के सफल अनावरण हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री संजय कुमार द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम एवं अपर पुलिस अधीक्षक नगर श्री अभयनाथ त्रिपाठी के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी जसवंतनगर श्री नागेन्द्र चौबे के कुशल नेतृत्व मे दिनांक 20.08.2024 को एसओजी सर्विलांस टीम एवं थाना बढ़पुरा पुलिस टीम थाना क्षेत्रान्तर्गत भ्रमणशील थी। इसी दौरान आपराधिक अभिसूचना प्राप्त हुयी कि मुकदमा उपरोक्त से संबंधित अभियुक्त यमुना पुल पर कही भागने की फिराक मे है । सूचना पर तत्काल पुलिस टीमो द्वारा कार्यवाही करते हुये **अभियुक्त शैलेश सिह भदौरिया उर्फ शालू पुत्र इन्द्रपाल सिह भदौरिया को यमुना पुल के पास से समय करीब 11.45 बजे गिरफ्तार** किया गया।
अभियुक्त शैलेश उपरोक्त की निशांदेही पर अभियुक्त **अमन उर्फ बच्चा बाबा** को **ग्राम अवारी उदी से समय करीब 12.30 बजे** गिरफ्तार किया गया।

पुलिस पूछताछः-

गिरफ्तार अभियुक्तों से पुलिस टीम द्वारा कडाई से पूछताछ की गयी तो अभियुक्त शैलेश ने बताया कि ग्राम अवारी प्रधान पति मनोहर भदौरिया (**जिसके विरुद्ध 29 मुकदमे दर्ज है तथा सिविल लाइन से हिस्टीशीटर (न0 114 A) था**) के साथ हमारी मनोहर से प्रधानी को लेकर प्रतिद्वंदता थी। मनोहर उपरोक्त हमारे घर/परिवार की बच्चियों पर भी भद्दे कमेंट करता था जिसकी बच्चियों ने बार बार शिकायत की थी। मनोहर भदौरिया उपरोक्त ने करीब 15 दिन पहले मेरे परिवार की 01 बच्ची के साथ बदनीयती से टच किया था तथा विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी थी जिससे हमारा पूरा परिवार त्रस्त व भयभीत था।

अभियुक्त अमन ने बताया कि लगभग दो - ढाई माह पूर्व मनोहर भदौरिया की बगिया मे मेरी बकरिया चली गयी थी जिसको लेकर मनोहर सिह ने मेरी दादी के साथ गाँव मे सरे आम मारपीट की । मनोहर उपरोक्त द्वारा मेरे साथ भी कई बार गाली –गलौज कर मारपीट कर की गयी।

दिनाक 17/18.08.24 की रात्रि को मनोहर सिह घर पर अकेला था तब मौका पाकर मैने और शैलेश ने मिलकर उसकी हत्या कर दी तथा घर पर सीसीटीवी लगे होने के कारण पकडे जाने के डर से सीसीटीबी का डीवीआर निकालकर तथा पेट्रोल की बोतल को झाडियों मे फेंक दिया। अभियुक्तगणो ने मृतक मनोहर भदौरिया की हीरो एचएफ डीलक्स मोटरसाइकिल को घटना कारित करने के बाद थाना सिविल लाइन क्षेत्रान्तर्गत पैराडाइस होटल से कचौरा की तरफ लगभग 01 किमी आगे बायें हाथ पर खेत मे साक्ष्य मिटाने के उद्देशय से उक्त मोटरसाइकिल मे आग लगा दी थी तथा मृतक मनोहर भदौरिया के घर पर लगे सीसीटीवी कैमरे की डीवीआर निकाल कर घर के बाहर झाड़ियों में फेंक दिया था।

अभियुक्तो की निशांदेही पर अभियुक्त अमन उर्फ बच्चा के घर के पीछे झाडियों से मृतक के घर पर लगे सीसीटीवी कैमरे का डीवीआर व 01 पेट्रोल की बोतल को बरामद किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. शैलेश सिह भदौरिया उर्फ शालू पुत्र इन्द्रपाल सिह भदौरिया निवासी ग्राम अवारी थाना बढ़पुरा जिला इटावा उम्र **32 वर्ष**।
2. अमन सिह उर्फ बच्चा बाबा पुत्र प्रमोद सिह निवासी ग्राम अवारी थाना बढ़पुरा जिला इटावा **उम्र 20 वर्ष ।**

बरामदगीः-

1. आलाकत्ल लकडी (फंटी)।
2. 01 डीवीआर (मृतक के घर पर लगे सीसीटीवी कैमरे का)
3. 01 बोतल पेट्रोल
4. बस की टिकट
5. 01 मोबाइल वन प्लस

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0स0 47/2024 धारा 103(1) बीएनएस थाना बढ़पुरा जनपद इटावा।

पुलिस टीम-

प्रथम टीम- निरी0 श्री जितेन्द्र प्रसाद शर्मा प्रभारी एसओजी, का0 आलोक कुमार, का0 अरुन कुमार, का0 विशाल कुमार, का0 गौरव कुमार, का0 आदेश कुमार।

उ0नि0 श्री नागेन्द्र सिंह प्रभारी सर्विलांस , हे0का0 कुलदीप यादव, का0 सुशील कुमार, का0 आनन्द कुमार, का0 अनुज कुमार, का0 अंकित कुमार, का0 सुरजीत यादव।

द्वितीय टीम- निरी0 श्री गणेश शंकर द्विवेदी प्रभारी थाना बढ़पुरा, उ0नि0 रजनीश तिवारी, उ0नि0 शम्भूदयाल, का0 सुभाष, का0 अनूप कुमार, चालक हे0का0 रामचन्द्र सैनी।